

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 247] No. 247] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (ठ), (ड) और (ढ) और धारा 46 के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (प) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि), नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषा.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,.—
 - क) "अधिनियम" ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) से अभिप्रेत है;
 - ख) "ब्यूरो" है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;
 - ग) "निधि प्रबंधक" है करार के अधीन ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि की धनराशि के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है;
 - घ) "विनिधान अस्तित्व" ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि विनिधान किया गया है जिसमें कंपनियों या परियोजनाओं को अभिप्रेत है;
 - ङ) **"संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन"** से अभिप्रेत है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है;

1813 GI/2017 (1)

- च) **"परियोजनाएं"** ऐसी अभिप्रेत हैं जो सरकारी भवनों, प्राइवेट भवन वाणिज्यिक भवनों या बहुमंजिला आवासीय भवनों और नगर पालिकाओं के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि के अधीन ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं हैं:
- छ) **"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड"** है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 5) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है।
- ज) "विशेष प्रयोजन यान" से अभिप्रेत है जो विशेष प्रयोजन के लिए एक आस्ति या दायी पूर्ण संरचना और विधिक प्रास्थिति के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित एक कम्पनी, जो इसके अपने दायियों को सुरक्षित बनाता है।
- झ) **"न्यास"** न्यासी बोर्ड के साथ न्यास के एक विलेख द्वारा निर्मित एक विधिक अस्तित्व के रूप में, ब्यूरो द्वारा गठित एक निकाय अभिप्रेत है।
- স) "ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि" है ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए निधि अभिप्रेत है।
- 3. ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि की स्थापना.—(1) ब्यूरो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की जाएगी।
 - (2) इस निधि को ब्यूरो द्वारा बनाए गए और प्रबंधित एक न्यास द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इसे एक उद्यम पूंजी निधि के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ब्यूरो के महानिदेशक ऊर्जा दक्षता न्यास के लिए उद्यम पूंजी निधि के संस्थापक और सुजित होंगे।
 - (3) यह न्यास ऊर्जा दक्षता उद्यम पूंजी निधि के संचालन के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष महानिदेशक, ब्यूरो होंगे जो राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के कार्यान्वयन के लिए अधिवासी होंगे।
 - (4) निधि के विनिधान का प्रबंधन ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक निधि महानिदेशक प्रबंधक द्वारा किया जाएगा जो एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान होगा।
 - (5) न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष, महा निदेशक, ब्यूरो होंगे, जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन को कार्यान्वित करेंगे।
 - (6) निधि के विनिधान का प्रबंधन ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा जो एक पब्लिक वित्तीय संस्थान होगा।
- 4. **निधि के विनिधान पैटर्न**.—(1) निधि का विनिहित साम्या के रूप में किया जाएगा और एक विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (2) यह निधि विनिर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए अंतिम बिंदु पर साम्यता सहायता प्रदान करेगा, जो विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से आवश्यक कुल साम्या का पंद्रह प्रतिशत या दो करोड़ रुपए अधिकतम करने के लिए सीमित होगी, इनमें से जो भी कम है।
 - (2) निधि का विनिधान संस्थाओं की परियोजनाओं में या विनिधान संस्थाओं के विशेष प्रयोजन यान में नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्रत्येक परियोजना निम्नलिखित मानदंड को पुरा करेगी अर्थात :-
 - क) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में शमन और प्रत्यक्ष ऊर्जा बचत प्राप्त करने का प्रयास और परियोजना प्रायोजकों या प्रतिभागियों को इसकी निगरानी तथा सत्यापन के लिए एक व्यावहारिक विधि प्रस्तावित करनी चाहिए ;
 - ख) एक नई परियोजना किन्तु यह किसी विद्यमान परियोजना का अधिग्रहण नहीं होगा; और
 - ग) व्यवहार्य प्रौद्योगिकी का उपयोग और ऊर्जा लेखा परीक्षा या व्यवहार्यता अध्ययन के साथ विकसित किया जाए;
 - (4) निधि के विनिधान की अवधि जल्दी बाहर निकलने के विकल्प के साथ पांच वर्षों तक होगी।
 - (5) विनिधान के पांच वर्ष से पहले इस परियोजना के सफल समापन के मामले में, अपने न्यासी बोर्ड के विवेक पर ऊर्जा दक्षता उद्यम पूंजी निधि बाहर निकल सकती हैं।
 - (6) निधि निम्नलिखित निकास मार्गों के माध्यम से बाहर निकलने के लिए चुन सकता है, किंतु यह इस तक सीमित नहीं हो सकता है:.—

- क) विनिहित संस्थाओं या प्रवर्तकों द्वारा पुनर्खरीद;
- ख) कार्यनीतिक बिक्री.—विलयन और अधिग्रहण; और
- ग) प्रारंभिक पब्लिक प्रस्थापना, भारत, विदेशी पूंजी बाजार।
- 5. निधि की अवधि और राशि.—(1) निधि की कुल अवधि परियोजना के प्रारंभ की तारीख से दस वर्ष के लिए होगी।
 - (2) प्रशासनिक व्यय निधि की पांच प्रतिशत निधि से अधिक नहीं होंगे बशर्ते निधि समग्र और विनिधानों के लाभांशों पर अर्जित ब्याज भी ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि से संबंधित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए।
- **6.** दस्तावेज़ और रिपोर्टिंग.—(1) न्यासी बोर्ड को ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि के निधि प्रबंधक द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट प्रदान की जाएगी; अर्थात्: -
 - क) निधि में किए गए विनिधान के निष्पादन के बारे में तिमाही रिपोर्ट, तिमाही में नए विनिधान, और अन्य रिपोर्ट;
 - ख) निधि के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के विषय में अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट; उद्योग की गतिशीलता, विनियमन, प्रौद्योगिकियां, प्रतिस्पर्द्धी विनिधान, विनिधान के नए अवसर और अन्य रिपोर्टें और निधि में विचलन किए गए प्रभार;
 - ग) लेखापरीक्षित वित्तीय कथनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट:
 - घ) न्यास द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी।
- 7. न्यास के विलेख.—ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि का प्रबंधन करने वाला न्यास एक न्यास के विलेख द्वारा सृजित एक विधिक अस्तित्व होगी।
- 8. न्यासियों की नियुक्ति.—विद्युत मंत्रालय इन नियमों के प्रयोजन के लिए ऊर्जा दक्षता, वित्त, विधि के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति, नामनिर्दिष्ट कर सकता है या अन्य विशेषज्ञों को निहित करेगा।
- 9. **न्यास का प्रशासन**.—(1) न्यास का प्रशासन महानिदेशक, ब्यूरो के साथ न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो प्रबंधन न्यासी तथा न्यास के अध्यक्ष होंगे।
 - (2) न्यास का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देश और कार्यों का नियंत्रण न्यासी बोर्ड द्वारा निहित किया जाएगा, जिसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा नियक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक दस न्यासी होंगे।
 - (3) न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क)	ब्यूरो के महानिदेशक	पदेन अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी;
(ख)	ब्यूरो के उप महानिदेशक (वित्त)	पदेन संयुक्त प्रबंध न्यासी;
(ग)	संयुक्त सचिव (विधि मंत्रालय)	पदेन सदस्य, न्यासी;
(ঘ)	संयुक्त सचिव (वित्त मंत्रालय)	पदेन सदस्य, न्यासी;
(ड.)	विशेषज्ञ (ऊर्जा दक्षता) (विद्युत मंत्रालय या किसी अन्य सरकार या सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन से विशेषज्ञों को लिया जाएगा, जैसा विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है)	पदेन सदस्य, न्यासी;
(च)	विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य कोई सदस्य	पदेन सदस्य, न्यासी।

- (4) विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता, वित्त, विधि और अन्य सुसंगत क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर नियम 9 के उप नियम (3) की मद (ग) से (च) में नामनिर्देशन सदस्य न्यासियों की नियुक्ति की जाएगी।
- (5) ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि के शेष न्यासियों की विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
- (6) नियम 9 के उप नियम (3) के अधीन या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति को उसी संगठन या किसी अन्य सुसंगत संगठन के नामांकन लेकर भरा जाएगा, जिसे प्रबंधन न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाए।

10. ब्यूरो की भूमिका.—ब्यूरो ये कार्य करेगा.—

- क) न्यास का गठन और निधि को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत करना, जैसा विधि के अधीन अपेक्षित है;
- ख) ब्यूरो के साथ करार के अधीन ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि के लिए एक निधि प्रबंधक के रूप में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की नियुक्ति करना।
- ग) ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि और निधि प्रबंधक की प्रगति की निगरानी करना, और
- घ) महा निदेशक, ब्यूरो से देय अनुमोदन लेकर ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि के लिए प्रशासनिक व्यय उपगत करना।
- 11. **न्यासियों के अधिकार**.—न्यासी बोर्ड के पास न्यास का नियंत्रण और प्रबंधन होगा तथा निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग किया जा सकेगा, अर्थात :.—
 - क) समय समय पर, उद्देश्य प्रारंभ करने और लेने के लिए तथा उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए न्यास के निधि का उपयोग किया जाएगा, अवधारित करना तथा प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाए गए निधि के उस भाग का आबंटन तथा वितरण करना;
 - ख) विनिधान कार्यनीति तथा निधि के प्रचालन पुस्तिका को अंतिम रूप देना;
 - ग) सभी अनिवार्य व्यय उपगत करना जो न्यास के प्रशासन के लिए अपनी राय में उपयोगी पाए जाते हैं;
 - घ) न्यास के एक या एक से अधिक बैंक खाते किसी बैंक या बैंकों में होना, जिन्हें न्यासी ठीक समझें और बैंक खातों में न्यास की धनराशि जमा करना:
 - ङ) उन कार्यों को करने के लिए न्यास के कार्यों से संबंधित बिन्दुओं की संस्थापना, संचालन, रक्षा, जटिलता, वापस लेने, समझौता करने, समायोजित, माध्यस्थम हेतु आनुषंगिक करने के लिए और वकालतों, अभिवाक, शपथ पत्रों तथा अन्य अधिकारों पर हस्ताक्षर और सत्यापन करना।
 - च) नकद या किसी अन्य रूप में अंशदान स्वीकार करना जो न्यास निधि में आम तौर पर न्यास के निर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए होते हैं, और
 - छ) किसी प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति की स्थापना करना।
- 12. **न्यासी बैठकें.—(**1) किसी भी अन्य न्यासी द्वारा प्रबंध न्यासी द्वारा या उनके निर्देशन में न्यासियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
 - (2) न्यासी बैठक के लिए गणपूर्ति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीन न्यासी होंगे।
 - (3) मतों की समानता के मामले में उक्त बैठक की अध्यक्षता पीठासीन करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत, अतिरिक्त मत का प्रयोग करेगा।
- 13. **न्यासिता की समाप्ति**.—(1) एक न्यासी इस न्यासी पद पर नहीं रहेगा यदि वह :-
 - क) त्यागपत्र देता है या मृत्यु हो जाती है; या
 - ख) एक अनुन्मुक्त दिवालिया हो जाना; या
 - ग) विकृत चित है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है; या
 - घ) कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं; या
 - ङ) न्यासी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अवकाश लिए बिना अनुपस्थिति जारी रही है; या
 - च) विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता में शामिल होने का दोषी पाया जाता है; और
 - छ) न्यास के हित के विरूद्ध कार्य करता पाया जाता है।
 - (2) न्यासी सर्वसम्मित से निर्णय लेते हैं कि न्यासियों की गतिविधियां न्यास के उद्देश्यों या गतिविधियों या प्रशासन के लिए अहितकारक है।

- (3) नामनिर्देशित न्यासी नामनिर्देशन की अवधि समाप्त होने पर न्यासी नहीं रहेगा :
 - परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के कार्य काल की अविध समाप्त होने से पहले तब तक नहीं हटाया जाए जब तक मामले की सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है।
- 14. विघटन करना.—न्यास को विघटन करने पर न्यास की निवल आस्तियां भारत सरकार के पास अंतरित की जाएंगी।
- 15. निधि प्रबंधक की भूमिका और उत्तदायित्व.—(1) पब्लिक वित्तीय संस्थान, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 क के अधीन रजिस्ट्रीकृत, को निधि प्रबंधक चुना जाएगा और वह ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि की ओर से विनिधान के लिए प्रथमदृष्टया पर उत्तरदायित्व होगा, जैसा कि निम्नलिखित सहित इन नियमों के अधीन अभिकल्पित है, अर्थात्:-
 - क) ब्यूरो या न्यास में निर्दिष्ट उद्देश्यों पर आधारित एक विस्तृत विनिधान रणनीति बनाना, जैसे खण्ड युक्त बाजार का आकार, ऊर्जा दक्षता पर प्रभाव, प्रौद्योगिकियों के प्रकार, वित्तीय विवरणियां, जोखिम और अन्य उद्देश्य;
 - ख) विनिधान विकल्पों और विचाराधीन की रूपरेखा विकसित करना;
 - ग) विनिधानों के लिए अवसरों की छानबीन;
 - घ) विनिधानों के लिए अवधि पत्रक स्थापित करना;
 - ङ) विनिधान के अवसरों के सम्यक तत्परता उद्यम.—
 - (i) कारबार की योजना, कारबार स्थल;
 - (ii) प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी मामले:
 - (iii) वित्तीय और लेखा मामले;
 - (iv) निधि से संबंधित विधिक मुद्दे।
 - (2) निधि प्रबंधक की नियुक्ति विनिधानों, कार्यनीतियों से निर्गत, तरलता के प्रबंधन और आमंत्रित इकाइयों के प्रबंधन में भागीदारी तथा ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि न्यास द्वारा अनुमोदित विनिधान कार्यनीति के संबंध में अन्य किसी मामले पर निर्णय लेने की अपेक्षित होगी।
 - (3) विनिधान की गई कंपनियों के प्रचालन परिणामों और अनुपालन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करना तथा आवश्यकता होने पर इनमें सुधार सुनिश्चित करना।
 - (4) विनिधानों पर प्राप्त लाभांशों को ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि न्यास के खाते में जमा करना, जिसे आगे चलकर ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि से संबंधित प्रशासनिक व्यय पूरे करने में और उपयोग किया जाएगा।
 - (5) निधि प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि लेन देन में पूर्व सहमत मानदण्ड पूरे किए जाते हैं।
 - (6) निधि प्रबंधक निधि की उपयोगिता पर कंपनियों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट और लेखा के वक्तव्यों का आकलन और पुनर्विलोक करेंगे तथा करार से किसी प्रकार का विचलन होने के मामले में इसे न्यासी बोर्ड के सामने लाएंगे तथा विनिधानों और विनिधान की गई परियोजनाओं की सुरक्षा के उचित कार्य करेंगे।
 - (7) निधि प्रबंधक के कर्मचारिवृंद विनिधान के प्रस्तावों की जांच के दौरान अन्य अभिकरणों द्वारा परियोजना के मूल्य निरूपण और परियोजना विकासक द्वारा परियोजना के विकास से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे।
 - (8) निधि प्रबंधक, ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि न्यास की तिमाही बैठक आयोजित करेंगे, जहां समग्र निगरानी के लिए प्रगति रिपोर्ट, लेखा के कथन आदि न्यासी बोर्ड के सामने प्रस्तत किए जाएंगे।
 - (9) निधि प्रबंधक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करेंगे जिसमें ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि न्यास से अनुमोदन लेने के बाद न्यास की सभी आय और व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित) प्रस्तुत की जाएगी।
 - (10) ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि द्वारा किसी ऐसी विनिधान परियोजना पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें संगठन द्वारा निधि प्रबंधक के लिए जनशक्ति प्रदान की गई है जो एक विनिधानक है या विनिधानक होने पर विचार कर सकता है।

- 16. **संकल्प**.—(1) न्यासी नियम 11 में उन्हें विहित किए गए सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और न्यासी बोर्ड की उक्त बैठक में आने वाले न्यासियों के बहमत से एक संकल्प पारित कर सकते हैं।
 - (2) कार्यालय में कार्यरत सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी संकल्प को उस समय विधिमान्य और बाध्यकारी माना जाएगा।
- **17. वाद.**—न्यास के प्रबंधन न्यासी को न्यास की ओर से वाद करने का प्राधिकार और दायी में दी गई है।
- **18.** लेखा और लेखा परीक्षा.—(1) निधि के प्रशासनिक व्यय में निधि प्रबंधक का फीस, कार्यशाला, न्यास प्रशासन के लिए कर्मचारिवंद और अन्य संबंधित व्यय शामिल होंगे:
 - (2) न्यासी न्यास की सभी धनराशियों तथा आय और विनिधान और होने वाले व्यय का सत्य और सही अनुरक्षण करेंगे;
 - (3) लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष होगा जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा;
 - (4) निधि प्रबंधक हर वर्ष लेखा को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें पूर्वगामी वर्ष के लिए न्यास की आय और व्यय लेखा के पिछले वर्ष के समान के अधिक से अधिक छह माह के अंदर प्रस्तुत करेंगे;
 - (5) न्यास के लेखा का लेखा संपरीक्षित हर वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा और लेखा के लेखा परीक्षण विवरण सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए न्यासी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के लिए उनकी आवश्यकतानुसार लेखे उपलब्ध होंगे।
- 19. पूरक और साधारण उपाबंध.—इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए किसी मामले के संबंध में ब्यूरो पूरक या अतिरिक्त नियम बना सकता है या अनुदेश तथा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के साथ निधि के प्रयोजन के लिए आवश्यक माना जाता है।
- **20. नियमों और विनियमों में संशोधन की शक्ति.**—विद्युत मंत्रालय के पास न्यास और निधि के प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए नियमों और विनियम बनाने, संशोधित या रह करने का अधिकार और प्राधिकार होगा।
- 21. अवशिष्ट उपाबंध.—उद्यम पूंजी निधि के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता के लिए समय समय पर लागू होगी।

[फा. सं. 12/1/2011-ईसी] राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

- **G.S.R. 311(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read with clauses (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 13 and section 46 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following rules, namely:-
- **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Energy Conservation (Venture Capital Fund for Energy Efficiency) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
 - (b)"Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under section 3 of the Act;
 - (c)"**fund manager**" means the public financial institution appointed by the Bureau for the purpose of management of the funds of Venture Capital Fund for Energy Efficiency under agreement;
 - (d) "invested entities" means the companies or projects wherein the Venture Capital Fund for Energy Efficiency has made investments;

- (e) "National Mission for Enhanced Energy Efficiency" means one of the eight National Missions under the National Action Plan on Climate Change;
- (f) "**projects**" means the energy efficiency projects under the Venture Capital Fund for Energy Efficiency for the government buildings, private buildings having commercial or multi-storey residential accommodations, and municipalities;
- (g) "Securities and Exchange Board of India" means the Securities Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (5 of 1992);
- (h) "**Special Purpose Vehicle**" means a company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for a specific purpose with an asset or liability structure and legal status that makes its obligations secure;
- (i) "trust" means a body formed by the Bureau, as a legal entity created by a Deed of Trust, consisting of Board of Trustees:
- (j) "Venture Capital Fund for Energy Efficiency" means a fund to provide equity capital for energy efficiency project.
- **3. Establishment of Venture Capital Fund for Energy Efficiency.**—(1) The Bureau shall establish a Venture Capital Fund for Energy Efficiency to provide equity capital for energy efficiency projects.
 - (2) The fund shall be administered by a trust created and managed by the Bureau and registered with the Securities and Exchange Board of India as a Venture Capital Fund.
 - (3) The Director General of the Bureau shall be the founder and settler of Venture Capital Fund for Energy Efficiency trust.
 - (4) The trust shall provide overall guidance for operation of the Venture Capital Fund for Energy Efficiency.
 - (5) The Chairman of the Board of Trustee shall be the Director General, Bureau, who shall implement the National Mission for Enhanced Energy Efficiency.
 - (6) The investment management of the fund shall be carried out by a fund manager appointed by the Bureau which shall be a public financial institution.
- 4. **Investment pattern of the fund.**—(1) The fund shall invest in the form of equity but a single investment by the fund shall not exceed rupees two crore.
 - (2) The fund shall provide last mile equity support to specific energy efficiency projects, limited to a maximum of fifteen per cent of total equity required, through special purpose vehicle or rupees two crore, whichever is less.
 - (3) The fund shall not invest in projects of invested entities or special purpose vehicle of invested entities.
 - (4) Each project shall meet the following criteria, namely:-
 - (a) seek to achieve demonstrable energy savings and mitigating emissions of greenhouse gases and project sponsors or participants must offer a viable method to monitor and verify the same;
 - (b) be a new project but shall not takeover of an existing project; and
 - (c) use viable technologies and to be developed after energy audit or feasibility studies.
 - (5) The period of investment of the fund shall be up to five years, with the option of early exit.
 - (6)In case of successful completion of the project prior to five years of investment, Venture Capital Fund for Energy Efficiency may exit at the discretion of its Board of Trustees.
 - (7) The fund may opt for the exit through the following exit routes, but not limited to: -
 - (a) repurchase by the invested entities or promoters;
 - (b) strategic sale- mergers and acquisition; and
 - (c) initial public offering, India, foreign capital markets.
- **5. Duration and amount of the fund.**—(1) The total life of the fund shall be ten years from the date of commencement of the project.
 - (2) The administrative expenses shall not exceed five percent of the corpus provided the interest earned on fund corpus and dividends earned on the investments shall also be utilised for meeting administrative expenses related to Venture Capital Fund for Energy Efficiency.

- **6. Documentation and reporting.**—(1) The Board of Trustees shall be provided with the following reports by the fund manager of the Venture Capital Fund for Energy Efficiency; namely:-
 - (a) quarterly reports about the performance of investments of the fund, new investments made in the quarter, and other reports;
 - (b) semi-annual reports concerning unaudited financial statements of the fund; industry dynamics, regulation, technologies, competing investments, new opportunities for investments and the other reports and charges debited to the fund;
 - (c) annual reports concerning audited financial statements; and
 - (d) any other information as required by Trust.
- **7. Deed of Trust.**—The Trust managing the Venture Capital Fund for Energy Efficiency shall be a legal entity created by a Deed of Trust.
- **8. Appointment of Trustees.**—The Ministry of Power may appoint, nominate or select experts in the field of energy efficiency, finance, law and other experts for the purpose of these rules.
- **9. Administration of the Trust.**—(1) The administration of the trust shall vest with the Board of Trustees with Director General, Bureau as the managing trustee and chairman of the trust.
 - (2) The management, administration, direction and control of the affairs of the Trust shall vest in the Board of Trustees, which shall consist of not less than three and not more than ten trustees to be appointed by the Ministry of Power.
 - (3) The Board of Trustees shall consist of the following members, namely:-

(a)	Director-General of the Bureau	Ex-officio Chairperson and Managing Trustee;
(b)	Deputy Director General (Finance) of the Bureau	Ex-officio Joint Managing Trustee;
(c)	Joint Secretary (Ministry of Law)	Ex-officio Member, Trustee;
(d)	Joint Secretary (Ministry of Finance)	Ex-officio Member, Trustee;
(e)	Expert (Energy Efficiency) (The Experts shall be from the Ministry of Power or from any other Government or Government Organization or a non-governmental organisation as decided by the Ministry of Power)	Ex-officio Member, Trustee;
(f)	Any other member nominated by the Ministry of Power	Ex-officio Member, Trustee.

- (4) The appointment of the member trustees specified at in items (c) to (f) of sub-rule (3) of rule 9 shall be made by the Ministry of Power on the basis of their experience in the field of energy efficiency, finance, law and other relevant areas.
- (5) The remaining Trustees for the Venture Capital Fund for Energy Efficiency Trust shall be appointed by the Ministry of Power.
- (6) A vacancy caused under sub-rule (3) of rule 9 or otherwise shall be filled by seeking nomination from the same organisation or any other relevant organisation as approved by the Managing Trustee.
- 10. Role of the Bureau.—The Bureau shall -
 - (a) formulate the trust and register the fund with the Securities and Exchange Board of India as required under the law;
 - (b) appoint a public financial institution as a fund manager for Venture Capital Fund for Energy Efficiency under agreement with the Bureau;

- (c) monitor the progress of Venture Capital Fund for Energy Efficiency and fund manager; and
- (d) incur administrative expenses for Venture Capital Fund for Energy Efficiency by taking due approval from Director General, Bureau.
- 11. **Power of the Trustees**.—The Board of Trustees shall have the control and management of the Trust and exercise the following powers namely:-
 - (a) to determine from time to time, the commencement and taking up the object and purposes for which the funds of the trust shall be used and allot and allocate to each of the objects such portion of the funds as they deem fit;
 - (b) to finalise investment strategy and operations manual of the fund;
 - (c) to incur all expenditure necessary as in their own opinion useful for administration of the trust;
 - (d) to open one or more bank accounts of the trust with any bank or banks as the Trustees may deem fit and deposit monies of the Trust in the Bank accounts;
 - (e) to institute, conduct, defend, compound, withdraw, compromise, adjust, refer to arbitration or to do such things as are incidental and necessary, concerning the affairs of the Trust and to sign and verify vakalats, pleadings, affidavits and other powers;
 - (f) to accept contributions in cash or in kind either by way of addition to the trust funds generally or for any one or more of the specified objects of the Trust; and
 - (g) to establish ad-hoc committees for any purpose.
- **12. Meetings of the Trustees.**—(1) The meeting of the trustee shall be convened by the managing trustee or under his direction by any other Trustees.
 - (2) The quorum for the meeting of the Trustees shall be three trustees, personally present.
 - (3) In the event of equality of votes, the person presiding such meeting shall exercise casting vote.
- 13. Cessation of Trusteeship.—(1) A Trustee shall cease to be the trustee if he:-
 - (a) resigns or dies; or
 - (b) becomes an undischarged insolvent; or
 - (c) becomes unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (d) refuses to act or becomes incapable of acting; or
 - (e) has been absent without obtaining leave of absence from three consecutive meetings of the Board of Trustees; or
 - (f) is found guilty by the Competent Court of Law of an offence involving moral turpitude; or
 - (g) is found to have acted against the interest of the Trust.
 - (2) The trustees may unanimously decide that the activities of the trustee are detrimental to the objectives or activities or administration of the Trust.
 - (3) A nominated trustee shall cease to be a trustee on expiry of the period of nomination:

Provided that no person shall be removed under this rule before the expiry of his term without giving that person a reasonable opportunity of being heard.

- **14. Dissolution.**—On dissolution of the trust, the net assets of the trust shall be transferred to the Government of India.
- **15.** Role and responsibility of the Fund Manager.—(1) A Public Financial Institution registered under section 4A of the Companies Act,1956 (1 of 1956), shall be selected as the fund Manager and shall be primarily responsible for making investment on behalf of the Venture Capital Fund for Energy Efficiency in energy efficiency projects as envisaged under these rules including the following; namely:-
 - (a) create a detailed investment strategy based on objectives as specified by the Bureau or Trust, such as segmental market size, impact on energy efficiency, types of technologies, financial returns, risks and other objectives;
 - (b) develop a pipeline of investment options or deals;
 - (c) screen investment opportunities;

- (d) establish term sheets for investments;
- (e) due-diligence of investment opportunities-
 - (i) business plan, business space;
 - (ii) technical matters relating to technology;
 - (iii) financial and accounting matters;
 - (iv) legal issues relating to the fund.
- (2) The appointed Fund Manager shall be required to make decisions on investments, exit strategies, management of liquidity and participation in the management of investee entities and any other matter with respect to the investment strategy approved by Venture Capital Fund for Energy Efficiency Trust.
- (3) Reviewing operating results and compliance reports of the invested companies and ensuring course corrections when needed.
- (4) Deposit the dividend received on investments back into Venture Capital Fund for Energy Efficiency Trust account which shall further be used to meet the administrative expenses relating to the Venture Capital Fund for Energy Efficiency.
- (5) The Fund Manager shall ensure that each investment meets pre-agreed criteria.
- (6) The Fund Manager shall assess and review the progress reports and statement of accounts provided by the companies on utilisation of the fund and in case of any deviation from the agreement, accordingly bring them to the notice of the Board of Trustees and shall take suitable actions to safeguard the investments and the invested projects.
- (7) The staff of Fund Manager shall, during the examination of investment proposals, ensure complete independence from the appraisal of the project by other agencies and from the development of the project by the project developer.
- (8) The Fund Manager shall organise quarterly meeting of Venture Capital Fund for Energy Efficiency Trust, where progress reports, statement of accounts etc. shall be presented to the Board of Trustees for overall monitoring.
- (9) The Fund Manager shall prepare and publish an annual report setting out the accounts showing all the income and expenditure of the trust, including administrative expense, after taking approval from the Venture Capital Fund for Energy Efficiency trust.
- (10) The Venture Capital Fund for Energy Efficiency shall not consider any investment projects in which the organisation that is providing manpower for the Fund Manager is an investor, or is considering to be an investor.
- 16. **Resolutions.**—(1) The Trustees may exercise all the powers vested in them in rule 11 and pass resolution at a simple majority of the trustees attended such meetings of the Board of Trustees;
 - (2) Any resolution in writing signed by all Trustees holding office for the time being shall be valid and binding.
- 17. Suits.—The Managing Trustee of the Trust is authorised to sue and liable to be sued on behalf of the Trust.
- **18. Accounts and Audit.**—(1) The administrative expense of the fund shall include the fees of Fund Manager, workshops, staff for Trust administration, and other related expenses.
 - (2) The Trustees shall maintain true and correct accounts of all Trust monies and of all the income and investments and all the outgoing expenses.
 - (3) The year of account shall be the financial year commencing from the 1st April and ending on the 31st March.
 - (4) The Fund Manager shall each year issue a report setting out the accounts showing the income and expenditure of the Trust for the preceding year not later than six months from the end of the preceding year of accounts.
 - (5) The accounts of the Trust shall be audited every year by statutory Auditor and the audited statement of accounts together with the report of the auditor shall be laid before the Board of Trustees for approval. The accounts shall be open to CAG audit as per their requirements.

- **19. Supplementary and General Provisions.**—In respect of any matter not specifically provided for in these rules, the Bureau may make such supplementary or additional rules or issue instructions and clarifications as may be necessary for the purpose of the fund with the approval of Ministry of Power.
 - **20. Power to amend Rules and Regulations.**—The Ministry of Power shall have the power and authority to make, amend, or rescind the rules and regulation for the management and administration of the Trust and the Fund.
- **21. Residuary provisions.**—With respect to the registration of Venture Capital Fund for Energy Efficiency the guidelines issued by Securities and Exchange Board of India from time to time shall apply.

[F. No. 12/1/2011-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser